

(To be Published in part IV of Delhi Gazette Extraordinary)
Government of National Capital Territory of Delhi,
(Law, Justice and Legislative Affairs Department),
5-Sham Nath Marg, Delhi-110054.

No. F. 21/1/10/2000-LAS-II/To/222 Dated / May, 2000.

The following Act of the Legislative Assembly received the assent of the President on 29.4.2000 and is hereby published for general information.

The Delhi Sales Tax (Amendment) Act, 2000. (Delhi Act No. 5 of 2000).

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 6th April, 2000).

AN

ACT

Further to amend the Delhi Sales Tax Act, 1975.

BE it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the Fifty-First year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent
and commencement

1. (1) This Act may be called the Delhi Sales Tax (Amendment) Act, 2000.
- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall be deemed to have come into force on the Sixth day of January, 2000.

amendment of section 4

2. In the Delhi Sales Tax Act, 1975 (43 of 1975) (hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 4, in sub-section (1)- (i) for clause (cc), the following shall be substituted, namely :-

"(cc) in the case of taxable turnover in respect of the goods specified in the Fourth Schedule, at the rate of twenty Paise in the rupee;"

- (ii) clause (ccc) shall be omitted;
- (iii) in clause (d), for the words "seven paise" occurring before the words "in the rupee," and after the words "at the rate of", the words "eight paise" shall be substituted;
- (iv) for the first proviso, the following shall be substituted, namely :-



"Provided that the Lieutenant Governor may, by notification in the official Gazette, add to, or omit from, or otherwise amend, the First Schedule, the Second Schedule or the Fourth Schedule, either retrospectively or prospectively, and thereupon the First Schedule or the Second Schedule or, as the case may be, the Fourth Schedule shall be deemed to be amended accordingly."

Insertion of a new
Fourth Schedule

3. In the principal Act, after the Third Schedule, the following shall be inserted, namely :-

"THE FOURTH SCHEDULE "
[See section 4(1) (cc)]

1. Petroleum products (other than liquefied petroleum gas, diesel (HSD/LDO), naphtha and kerosene) such as,

- (i) natural gas;
- (ii) aviation turbine fuel;
- (iii) spirits;
- (iv) gasoline;
- (v) furnace oil;
- (vi) lubricants;
- (vii) organic solvents;
- (viii) coal-tar;
- (ix) wax;
- (x) mixtures and combinations of above products;

- 2. liquor (foreign and Indian made foreign liquor);
- 3. country liquor;
- 4. narcotics (Bhaang);
- 5. molasses;
- 6. rectified spirit;
- 7. lottery tickets."

Repeal and savings

4. (1) In the Fourth Schedule as so inserted, the items specified therein shall be deemed to have been omitted from any other Schedules to the principal Act or any of the



notifications issued under the third proviso to sub section
(1) of section 4 thereof

- (2) The Delhi Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2000 (1 of 2000) is hereby repealed.
- (4) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act.


(R. T. L. D. SOUZA),
Under Secretary (L. A.).

दिल्ली राजपत्र भाग-4 अज्ञातपारण में प्रकाशितार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग,

29/11/2000-11/12/2000-11/0054

संख्या: भा. 21/1/10/2000-सं. ए. एन. - 2/2/ 222 दिनांक 1 मई, 2000.

राष्ट्रपति की दिनांक 29.4.2000 को मिली अनुमति के परचातु विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनतापारण के सूचार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

दिल्ली विधायी कर संशोधन अधिनियम, 2000 दिल्ली अधिनियम संख्या: 5 वर्ष, 2000.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 6. अप्रैल, 2000 को पारित.

एक अधिनियम

दिल्ली विधायी कर अधिनियम, 1975 का पुनः संशोधन करने के लिए.

यह भारतीय गणतंत्र के इकावनवें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा द्वारा निम्नप्रकार अधिनियमित किया जाए :-

- | | |
|----------------------|---|
| संक्षिप्त शीर्षक | 1. § 1 § इस अधिनियम को दिल्ली विधायी कर संशोधन अधिनियम, 2000 कहा जाए, |
| विस्तार एवं प्रारम्भ | § 2 § यह समूचे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में विस्तारित होता है। |
| | § 3 § यह जनवरी, 2000 के छठे दिन लागू माना जाएगा। |
| पारा 4 का संशोधन | 2. दिल्ली विधायी कर अधिनियम, 1975 § 1975 का 43 § इसके बाद "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित § पारा 4 की उपपारा § 1 § में § 1 § खण्ड § ग ग § के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "§ ग ग § चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के सम्बद्ध में कर योग्य कुल विक्री पर बीस पैसे प्रति रुपये की दर से," |
| | § 2 § खण्ड § ग ग ग § हटाया जाएगा, |
| | § 3 § खण्ड § घ § शब्द "रूपे में" से पहले तथा शब्द "की दर पर" के बाद में आस शब्दों "सात पैसे" के स्थान पर शब्द "आठ पैसे" प्रति स्थापित किए जाएंगे, |

§ 4 § प्रथम परंतु के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"बर्तों कि उपराज्यपाल प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची अथवा चतुर्थ अनुसूची में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या तो पूर्व प्रभाव से या भावी प्रभाव से उनमें परिवर्तन कर सकते हैं या हटा सकते हैं या

अन्यथा संशोधन कर सकते हैं और इस के परिणाम—
स्वरूप प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची अथवा तृती
भी रियति हो, चतुर्थ अनुसूची तदनुसार संशोधित सम्झी
जाएगी ।”

तीसरी अनुसूची
सन्निविदा

3. मूल अधिनियम में तीसरी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित
को सन्निविष्ट किया जाएगा अर्थात् :-

“तीसरी अनुसूची” [पारा 4 § 1 § 8 ग ग § देखें]

1. पेट्रोलियम पदार्थ § तरल पेट्रोलियम गैस, डीजल
§ एच. एच. डी/स्ल डी ओ § के अतिरिक्त नाफ्ता और
मिट्टी तेल § जैसे :-

§ 1 § प्राकृतिक गैस,

§ 2 § स्वीडन टरबाईन ईंधन,

§ 3 § स्प्रिट,

§ 4 § गैसो लिन,

§ 5 § मिट्टी का तेल,

§ 6 § लुब्रिकेन्ट्स,

§ 7 § कार्बनिक लीन-वेन्ट, § कार्बनिक §

§ 8 § कोल-तार,

§ 9 § पेट्रोल,

§ 10 § मिश्रण तथा उपरोक्त उत्पादों का सम्मिश्रण,

2. शराब § विदेशी तथा भारत निर्मित विदेशी शराब §

3. देशी शराब,

4. स्वापन § शॉग §,

5. शीरा,

6. संशोधित स्प्रिट

7. लॉटरी टिकट

इस प्रकार सन्निविष्ट तीसरी अनुसूची में उक्त विनिर्दिष्ट

मदों को मूल अधिनियम या किसी अन्य अनुसूची उक्त

पारा 4 की उपपारा 1 § के तहत परन्तु के अधीन जारी

किसी अधिसूचना से उत्पाद बना सम्झा जाएगा ।

§ 2 § किसी निम्न कर देसम्पन § अथवा, 2000-01-01 को

एतत्तद्वारा निरस्त किया जाता है ।

४३४ ऐसे निरस्तजमें किसी बात के अन्याय होते हुए मूल अधिनियम के अन्तर्गत कुछ किया गया अथवा की गई कार्यवाही जैसा उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अन्तर्गत किया गया अथवा की गई कार्यवाही समझी जायगी ।

Ym Song

॥ आर. टी. एल. डि. सूजा ॥
अवर सचिव ॥ विधायी कार्य ॥